EO

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfo-lohardagga@gov.in Ph. & Fax - 06526 –

28 JUN 2025

पत्रांक 648 / लो0, दिनांक 19-06-2025

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
गुमला।

विषय :– गुमला जिलान्तर्गत मौजा बनालात के 1.60 हे० गैरमजरूवा वन भूमि (जंगल–झाड़ी) में सी०आर०पी०एफ० कैम्प की सैधांतिक सहमति में लगाये गये शर्तो का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :– वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या वन भूमि 05/2015–3268 व०प० दिनांक 19.06.2015, इस कार्यालय के पत्र संख्या 2040 दिनांक 08.07.2015, 2153 दिनांक 16.07.2015, 2784 दिनांक 21.09.2015, 3171 दिनांक 14.11.2015, 1108 दिनांक 21.04.2016, 2361 दिनांक 22.08.2016, 1110 दिनांक 13.02.2017, 2812 दिनांक 05.07.2017, 3519 दिनांक 20.09.2017, 1763 दिनांक 06.04.2018, 2166 दिनांक 04.06.2018, 2914 दिनांक 13.08.2018, 3018 दिनांक 13.06.2019 एवं पत्रांक 301 दिनांक 18.02.2021 एवं पत्रांक 1469 दिनांक 14.08. 2023 तथा Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) Ltr No. 5-3/2011-FL(VOL-I) date- 6th January 2022 एवं वरीय लेखा अधिकारी/ए0एम0जी0 महालेखाकार, झारखण्ड, रांची का पत्रांक (A.M.G-I) V-1/2024-25 दिनांक–25-04-2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रसांगिक पत्र संख्या वन भूमि 05/2015–3268 व०प० दिनांक 19.06.2015 के शर्त संख्या II के आलोक में इस कार्यालय के प्रसांगिक पत्रों द्वारा वांछित 10,01,600/– (दस लाख एक हजार छः सौ) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट समर्पित करने का अनुरोध किया गया है, जो अबतक आपसे अप्राप्त है। इसके लिए राज्य सरकार एवं उच्चाधिकारियों से निरंतर स्मार पत्र प्राप्त हो रहे हैं। आपके द्वारा सैधांतिक स्वीकृति के पांच से अधिक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सैधांतिक स्वीकृति के सभी शर्त्तों का पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। इसलिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक– एफ०नं० 5-3/2011– एफसी (वॉल्यूम -I) दिनांक 06.01.2022 के आलोक में एन0पी0भी0 की संशोधित नई दर (जो कि जनवरी 2022 में लागू की गई थी) इस प्रस्ताव पर भी लागू होगा।

जिसकी गणना निम्नांकित तालिका में इस प्रकार है:–

R-2061/M 28/6/25

अपयोजित वन भूमि (हे0)	अपयोजित वनभूमि का प्रकार	NPV का तात्कालिक दर (प्रति हे0) (ECO Class – III Open)	तात्कालिक दर पर जमा करने हेतु मांग की गई NPV की राशि	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा जमा किया गया NPV की राशि	NPV का वर्तमान दर (प्रति हे0) (ECO Class – III Open)	वर्तमान दर पर NPV की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.60	ECO Class – III Open	626000.00	1001600.00	0.00	957780.22	1532448.00

Old Sys.

Mauza Banalat 1.60 Hac Anupalan (SP Gumla)

R-487/25 28/6/025

R-154/EO 21/07/25

अतः पुनः स्मारित करते हुए अनुरोध है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रसांगिक पत्र के शर्त संख्या II के आलोक तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक– एफ०नं० 5-3/2011– एफसी (वॉल्यूम -I) दिनांक 06.01.2022 के आलोक में NPV की संशोधित नई रद 15,32,448/– (पन्द्रह लाख बत्तीस हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये राशि का डिमांड ड्राफ्ट शीघ्र जमा करने की कृपा करें एवं झारखण्ड सरकार के प्रसांगिक पत्र में लगाये गये अन्य शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन शपथ पत्र के साथ शीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें। विदित हो कि स्टेज – I स्वीकृति आदेश में लगाये गये शर्तों का अनुपालन किये बगैर एवं स्टेज – II स्वीकृति प्राप्त किये बगैर वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

Scanned with OKEN Scanner